भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3329
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

गरीब लोगों की न्याय तक पहुंच

+3329. श्री गोपाल चिन्नया शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत हो रहे न्यायाधीश द्वारा की गई उस टिप्पणी पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत में न्याय प्रणाली अमीर और शक्तिशाली लोगों के पक्ष में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के गरीब लोगों की न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सरकार ने सामान्य नागरिक को वहन करने योग्य, गुणवत्ता वाला और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, मुफ्त और असक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय की उन्नति के लिए विधिक प्रणाली के प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु लोक अदालतों के आयोजन का उपबंध करता है । सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस प्रयोजन के लिए तालुका न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थानों की स्थापना की गई है । अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि के दौरान 3.10 लाख व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की गई है और लोक अदालतों के माध्यम से 75.41 मामले (न्यायालयों में लंबित और मुकदमा पूर्व स्तर के विवाद) भी निपटाए गए हैं । कारागारों, प्रेक्षण गृहों, किशोर न्याय बोर्डों में विधिक सेवा क्लीनिक भी स्थापित किए गए हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल अधिवक्ताओं और पैरा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जाता है । इसके अतिरिक्त न्याय तक साम्यापूर्ण पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने जनसाधारण

की विधिक सहायता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एंड्रायड और आईओएस वर्जन पर विधिक सेवा मोबाइल एप भी शुरू की है ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने दो महत्वपूर्ण विधिक सशक्तीकरण पहलें शुरू की हैं जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को न्यायबंधू (प्रो-ब्रोनों लीगल सर्विसेस) कार्यक्रम से जोड़ना सम्मिलित है । इस कार्यक्रम के अधीन 3583 प्रो-बोनों अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत किया गया है और लाभार्थियों द्वारा 1436 मामलें रजिस्ट्रीकृत कराए गए हैं । अन्य पहल, सरकार द्वारा चलाया जा रहा टैली-विधि कार्यक्रम है जो पंचायतों के सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा मुकदमा पूर्व स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता के लिए हकदार व्यक्तियों सहित लोगों को विधिक सलाह प्रदान करता है । टैली-विधि ने आज तक 12.5 से अधिक लाभार्थियों की सहायता की है ।

****